Labour Department 勞工處

1/2019

अपनी नौकरी लगवाने के लिये रोजगार एजेंसियों का चुनाव सोच समझ कर सावधानी से करें –

नौकरी से सम्बंधित जालसाजियों के प्रति सजग रहें

Labour Department 勞工處

Hindi Version 印度文版本

विदेश से आये घरेलू सहायको को हॉंग कोंग में नौकरी के रोजगार एजेंसियों की सहायता लेते समय, अपने अधिकारो की सुरक्षा के लिये, नीचे लिखी बातो को जानना चाहिये

रोजगार एजेंसियों को चुनते समय

केवल लाइसेंसधारी रोजगार एजेंसियों द्वारा दिलाई जाने वाली नौकरी दिलाने की सेवा की मांग करे | श्रम विभाग के रोजगार एजेंसियों की पोर्टल (www.eaa.labour.gov.hk) पर वैध लाइसेंसधारी रोजगार एजेंसियों की सूची देख सकते हैं ।

श्रम विभाग ने रोजगार एजेंसियों के लिये अभ्यास संहिता (नियमावली) जारी किया है । रोजगार एजेंसियों द्वारा करने और नही करने वाले व्यवहारो को जानने के लिये नियमावली को देखे । यह नियमावली रोजगार एजेंसियों के पोर्टाल पर भी उपलब्ध है ।

रोजगर एजेंसियों द्वारा बताये या पेश किये गये नौकरी की खाली जगहें , ख़ास तौर से जो विदेशो में है, की सच्चाई को ठीक से परखें । यदि शक हो तो अपने देश के बाणिज्य दूतावास से या गंतव्य (लक्ष्य) देश के बाणिज्य दूतावास से जांच करे ।

अपने मानक रोजगार अनुबंध मे कोई गलत सूचना नही दे (जैसे कि आपकी तंख्वाह . आपकी नौकरी के जगह का पता आदि) । ऐसा करने पर आप अपराध के दोषी बनाये जा सकते है । आपने रोजगार के अनुबंध की जिस मूल प्रति पर हस्ताक्षर किया है उसे अपने पास रखें ।

कोई दस्ताबेज, करारनामा या अनुबंध जिसे आप पूरी तरह से समझ नहीं सकते या सहमत नहीं हैं , उस पर हस्ताक्षर नहीं करें ।

हॉंग कोंग मे काम करते समय अपने अधिकारों और सुरक्षा सम्बंधित उपयोगी सूचना के लिये वि.घ.स. के पोर्टाल (www.fdh.labour.gov.hk) को देखें ।

रोजगार एजेंसियों द्वारा ली जाने वाली फीस

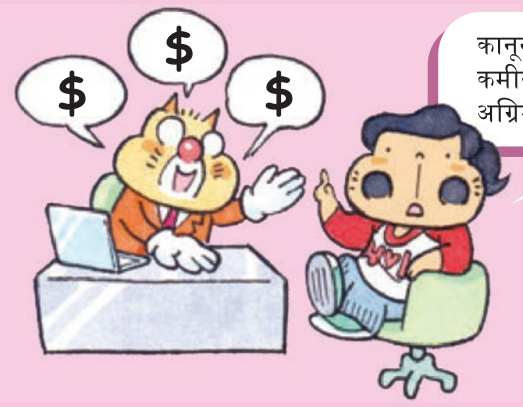

कानूनन होंग कोंग के रोजगार एजेंसियों को अधिक से अधिक आपके पहले महीने की तनख्वाह का 10% ही कमीसन (अर्थात निर्धारित कमीसन) की तरह लेने की अनुमति है । यह भुगतान तभी किया जाना चाहिये जब आप को पहले महीने की तनख्वाह मिल गई हो, और यह अग्रिम नही दी जानी चाहिये ।

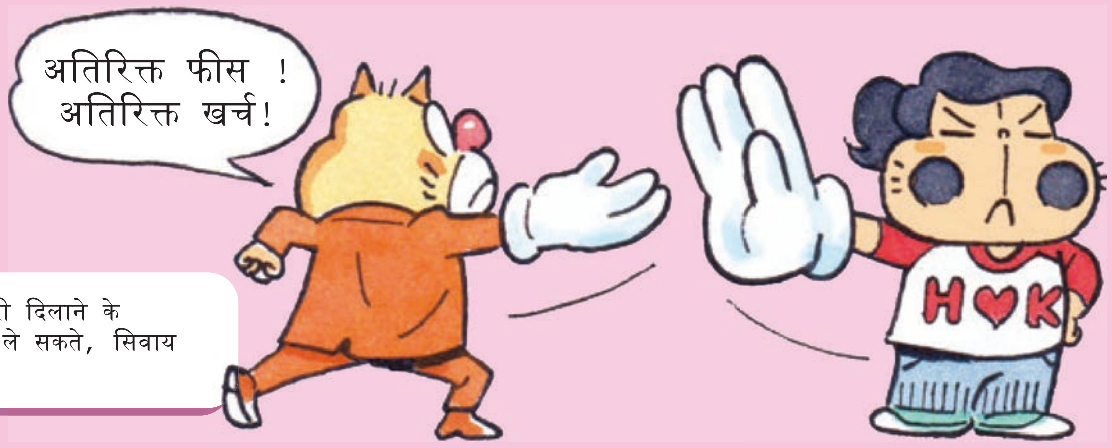

रोजगर एजेंसी, किसी भी स्थिति (हालात) में, नौकरी दिलाने के सम्बन्ध में, अन्य कोई फीस या खर्चे की रकम नहीं ले सकते, सिवाय निर्धारित कमीशन के अलावा ।

रोजगार एजेंसी को दी गई हर भुगतान के लिये रसीद की मांग करें । यह ज्यादा ठीक होगा कि आप भुगतान को रोजगार एजेंसी के कम्पनी के बैंक के खाते मे सीधे जमा कर दें, ताकि भुगतान का लिखित प्रमाण रहे । रोजगार एजेंसी के कर्मचारी के ब्यक्तिगत खाते में जमा करने से बचें साथ ही उनको नगद राशि भी कभी न दे । यदि एजेंट रसीद देने से इनकार करता है तो उन्हे कोई भुगतान नही करें ।

एजेंट के सुझाव देने या मांगने पर भी, कभी भी एजेंट की फीस देने के लिये किसी आर्थिक सेवा वाली संस्था से उधार नहीं लें ।

ध्यान देने के लिये अन्य बिंदु (मुद्दे)

आपको केवल अपने नियोक्ता के ही घरेलू काम और नियोक्ता के उसी पते पर जो आपके मान्य अनुबंध में दिया गया है, काम करने की अनुमति है । चाहे आपका नियोक्ता भले ही अनुमति दे अथवा आपसे मांग करे, आपको अनुबंध में लिखे पते को छोड कर कहीं और किसी भी ब्यक्ति (आपके नियोक्ता समेत) के लिये काम करने की अनुमति नही है । भले ही आपका नियोक्ता या रोजगार एजेंसी आपसे इसके लिये बिनती करें या आपको इस बात की इजाजत दें ।

किसी को भी , जैसे कि रोजगार एजेंसी या आपके नियोक्ता, बिना आपकी अनुमति के, आपकी कोई सम्पत्ति , जिसमें आपका पासपोर्ट, होंग कोंग परिचय पत्र (आई डी कार्ड) और मान्य अनुबंध आदि, शामिल हैं, लेना और रखना चाहिये ।

जब आपके अधिकारो का उल्लंघन होता है

यदि आपको शक होता है कि रोजगार एजेंसी आपसे अधिक पैसे ले रही है या एजेंट बिना लाइसेंस के काम कर रहा है तो आप श्रम विभाग को 2115 3667 पर कार्यालय के काम के समय पर, सम्पर्क कर सकते हैं, या ईमेल के पते ea-ee@labour.gov.hk पर कार्यालय के समय पर सम्पर्क कर सकते हैं । आप अपने मामले की सूचना श्रम विभग को तुरन्त दें ।

आपकी नौकरी से सम्बंधित किसी जानकारी या शिकायत के लिये आप 2157 9537 पर फोन कर सकते है (आकस्मिक हाट लाइन की सेवा “1823” द्वारा दी जाती है) ।

यदि आप पर क्रूर ब्यवहार या दुराचार होता है अथवा आपकी सुरक्षा खतरे मे है, तो पुलिस विभाग की आकस्मिक सहायता के लिये 999 पर तुरंत फोन करे ।

यदि आपको गैर कानूनी तरीके से होंग कोंग के बाहर काम पर भेजा जाता है तो आप्रवासन विभाग (इम्मीग्रेशन विभाग) को 2824 6111 पर फोन करें ।